फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

इन्द्रजीतसिंह बनाम कुलविन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या २५४/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
28.11.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक वाद भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 31/30 के कुल खसरे 53 का कुल क्षेत्रफल 12.9150 है0 भूमि के विशिष्ट ख0नं0/मु0नं0/कि0नं0 को रहन, बैय, मुन्तकिल न करें । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 21/12/2022 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ)	
21/12/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन पेश किये जा चुके हैं। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं० 7 का रजिस्टर्ड सम्मन [illegible] होने के कारण वापिस प्राप्त। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 13/3/23 को पेश हो।	
13/3/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी श्री ... साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 12/5/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान
वर्ष 2023 कैम्प .... [illegible]
में पेश हो।

02 5/23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष ... [illegible] में पेश हुई ... [illegible] ... को पेश हो। पत्रावली दिनांक 12/07/23
12 7/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब मुख्यालय से बाहर। पत्रावली दि० 28/8/23 को पेश हो।
28/8/23	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब [illegible] ..... पत्रावली दि० 17/10/23 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
17/10/23	पक्षकार प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थी नं० 1 के फौत होने पर वारिसान [illegible] शामिल नहीं हुआ है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 26/10/23 को पेश हो।	
26/10/23	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने [illegible] Not Press किया कि प्रार्थी यह [illegible] चलाना नहीं चाहते है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा Not Press किए जाने पर [illegible] खारिज किया [illegible] नकल [illegible] रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर।	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner